



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

राजस्थान जयते

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8679/2026

CNR: RJHC010618912026

URN: CRLMB / 18812U / 2026

Jawana Ram S/o Kana Ram Ji, Aged About 22 Years, Resident Of
Bera Navoda, At Present Lohar Colony, Sojatcity, District Pali.
(At Present Lodged In Sub Jail Sojat)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narendra Rajpurohit
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **चण्डावल, जिला पाली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **34/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **305(ए), 331(4)** भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु प्रार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **जवानाराम पुत्र कानाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J